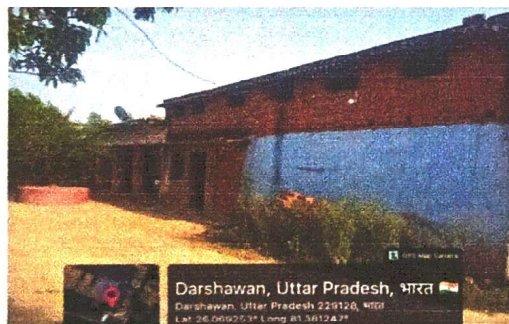
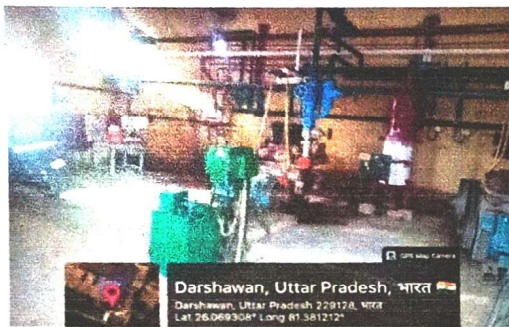
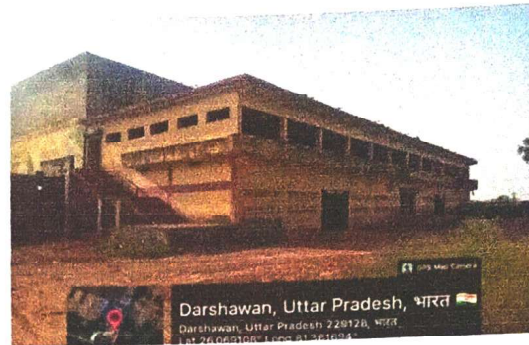
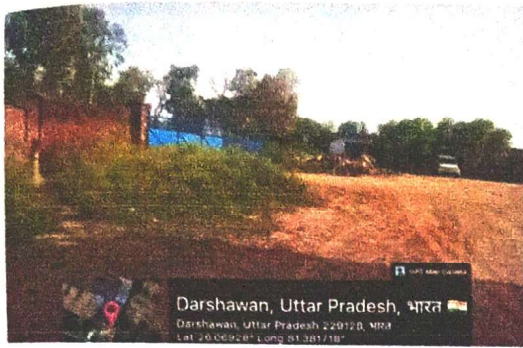
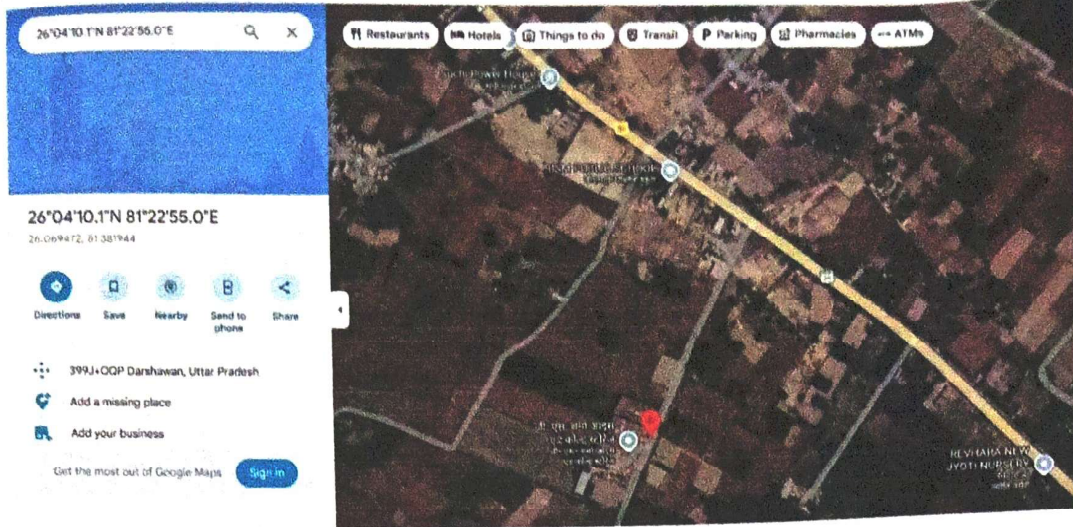





Er. Bhim Singh
B.E., M.E., F.I.V., M.I.E.,
Registered Valuer 2nd, Cat-1 (C.O.T, Lko.)
Approved Valuer F-13517
Chartered Engineer EI-132100-3
OBPAS Reg. No.-PAT/021603/20062018



क्र.सं.	विकास क्षेत्र का आवासीय विकास क्षेत्र का नाम	मौज/ग्राम	अक्षक भूमि की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)			एकड़ से कम गतिविधि/सामान्य/अतिरिक्त की कारपेट दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)			सामान्य भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)			
			3 से 5 मीटर तक चौड़े सड़क पर	5 मीटर से अधिक चौड़े सड़क पर	5 मीटर से अधिक चौड़े सड़क पर	अक्षक भूमि की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)	अक्षक भूमि की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)	अक्षक भूमि की न्यूनतम दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)	सामान्य भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)	सामान्य भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)	सामान्य भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)	सामान्य भूमि की दर (प्रति वर्ग मीटर) (रुपये)
119	0222	दीनापुर	2800	4400	5500	9000	11000	13000	33	41	61	28
120	0221	विलासपुर	5600	8000	9400	15000	17000	19000	39	50	72	28
121	0157	दोहलपुर मुंडावा	5600	8000	9400	15000	17000	19000	39	50	72	28
122	0223	दीनापुर	2800	4300	5500	9000	11000	13000	31	41	61	28
123	0063	दरसवा	6600	9200	10000	19000	21000	23000	60	100	110	40
124	0064	दीनापुर	2800	4400	5500	9000	11000	13000	36	44	68	29
125	0065	दुधरुन	7000	10000	11000	19000	21000	23000	60	100	110	45
126	0224	धनकुंजवा	2600	4100	5200	9000	11000	13000	33	41	66	26
127	0158	दलानपुर	2600	4300	5500	9000	11000	13000	36	43	68	29
128	0066	दरसवा	7000	10000	11000	20000	22000	24000	60	100	105	42
129	0226	दलानपुर	2600	4100	5200	9000	11000	13000	29	37	60	26
130	0160	नलीबाबा नगरीय	6600	9000	10000	19000	21000	23000	60	90	105	40
131	0160	नलीबाबा नगरीय	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50
132	0160	साला की बाजार	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50
133	0160	बेला	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50
134	0160	पुरानी कोठी	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50
135	0160	कोठीनगर	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50
136	0160	कावस्थवा	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50
137	0160	सिवनगर	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50
138	0160	कुरीत नगर	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50
139	0160	बुलवासी	12000	14000	16000	20000	22000	24000	85	100	110	50

उप निष्पत्ति, सत्यान

सहायक महाविभागीय निष्पत्ति

52 Page 7 of 8 उपर विभागीय (वि०) सत्यान

अक्षक भूमि/सम्पत्ति हेतु सामान्य निर्देश

20. (क) जिस अक्षक भूखण्ड/प्लॉट के सामने पार्क हो तो उस के न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जाएगी। जिस अक्षक भूखण्ड की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो ऐसी सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जाएगी। यदि उपरोक्त दोनों परिस्थितियाँ विद्यमान हो तो ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जाएगी।
- (ख) अक्षक भूखण्ड/प्लॉट की पचास मीटर त्रिज्या में यदि व्यावसायिक गतिविधियाँ विद्यमान हैं, तो निर्धारित दर से मूल्यीकरण करने के पश्चात 30 प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यीकरण किया जाएगा तथा व्यावसायिक गतिविधियों से संलग्न भूखण्ड पर 50 प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यीकरण किया जाएगा।
21. (क) ऐसी अक्षक भूमि जो राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग/एक्सप्रेस वे/प्रमुख जिला मार्ग व प्रारूप-3 में उल्लिखित मुख्य मार्ग/रोड सेगमेंट पर सड़क से संलग्न है, तो उस भूमि के बाद पीछे की सड़क से 50 मीटर की गहराई तक में अन्तर्गत किये जाने वाली भूमि का मूल्यीकरण तदनुसार हेतु निर्धारित दर से 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि के साथ मूल्यीकरण का निर्धारण किया जाएगा।
- नोट- यदि भूमि सड़क पर स्थित है तो उसका मूल्यीकरण तदनुसार हेतु निर्धारित दर के अनुसार ही किया जाएगा।
- (ख) अक्षक भूखण्ड जो किसी फ्लाई ओवर से आच्छादित होगी, उसके पार्श्व से अन्त के मध्य स्थित अक्षक भूमि का मूल्यीकरण तदनुसार हेतु निर्धारित दर से 20 प्रतिशत कमी करके किया जाएगा।
22. इस मूल्यीकरण सूची में निर्धारित अक्षक भूखण्ड की दरें 1000 वर्ग मीटर तक लागू होंगी। इससे अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में 1000 वर्ग मीटर से अधिक अवशेष क्षेत्रफल हेतु निर्धारित भूखण्ड की दरों में 25 प्रतिशत कम करते हुए मूल्यीकरण किया जाएगा।
23. तीन मंजिल तक के भवन अलग-अलग तल के अन्तर्गत विलेख में दो मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में अधिभाजित भूमि का अंश 50 व 50 प्रतिशत होगा तथा तीन मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में भूमि का अधिभाजित अंश 33.3 प्रतिशत होगा इसी प्रकार किसी भवन के किसी तल की छत के अन्तर्गत विलेख में छत के न्यूनतम मूल्य की गणना सम्बन्धित स्थल की अक्षक भूमि की निर्धारित दर के अनुसार निम्न प्रकार की जाएगी।

उप निष्पत्ति, सत्यान

सहायक महाविभागीय निष्पत्ति

7) उपर विभागीय (वि०) सत्यान

Er. Bhim Singh
B.E., M.E., F.I.V., M.I.E.,
Registered Valuer-2/A, Cat-I (COT, Lko.)
F.No.-1/Valuer F-12/17
Chartered Engineer M-132160-3
OBPA's Reg. No.-M1321603/20062018